रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229299 CG-DL-E-31082021-229299

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]

No. 487]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2021

सं. 41/2021-सीमाश्ल्क

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2021- सीमाशुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 286 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक, अक्षर और शब्द "31 अगस्त, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/66/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी] गौरव सिंह. उप सचिव

4798 GI/2021 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को सा.का.िन. 286(अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मई, 2021, जिसे सा.का.िन. 354(अ), दिनांक 31 मई. 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2021

No. 41/2021-Customs

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 141 of Finance Act, 2020 (12 of 2020), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2021-Customs, dated the 24th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 286(E), dated the 24th April, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and word "31st August, 2021", the figures, letters and word "30th September, 2021" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/66/2021-TO(TRU-I)-CBEC] GAURAV SINGH, Dv. Secv.

Note : The principal notification No. 28/2021-Customs, dated the 24th April, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 286(E), dated the 24th April, 2021 and was last amended *vide* notification No. 31/2021-Customs, dated the 31st May, 2021, published *vide* number G.S.R. 354(E), dated the 31st May, 2021.